न्यायालय उप जिलाधिकारी मेंहनगर, आजमगढ़।

/अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0अधि0

वाद सं0 T2015150605877

ग्राम– डीहा व पकड़िया रानीपुर, परगना–बेला दौलताबाद, तहसील–मेंहनगर, आजमगढ़।

बागेश्वरी महा विद्यालय डीहा द्वारा प्रबन्धक यशवन्त सिंह बनाम गाँवसभा आदि

प्रस्तुत वाद यशवन्त सिंह पुत्र कैलाशनाथ प्रबन्धक बागेश्वरी महाविद्यालय डीहा सि0
डीहा द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अ0, बावत आ0नं0 14 रकबा 1.677हे0 स्थित मौजा डीहा व
आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0 स्थित मौजा पकड़िया रानीपुर दाखिल किया गया जिस पर तहसीलदार
मेंहनगर से जाँच कर आख्या मँगायी गई। तहसीलदार मेंहनगर द्वारा मौके की जाँच कर अपनी जाँच
आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम डीहा के आ0नं0 आ0नं0 14 रकबा 1.677हे0 व ग्राम पकड़िया
रानीपुर के आ0नं0 आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर खतौनी में दर्ज है
जिसमें डीहा के आ0नं0 14 रकबा 1.677हे0 पर बागेश्वरी महाविद्यालय डीहा का भवन निर्माणाधीन है
एवं ग्राम पकड़िया रानीपुर के आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0 भूमि बागेश्वरी महाविद्यालय के नाम अभिलेख
में दर्ज है। उक्त आ0नं0मौके पर अकृषिक उपयोग में है। मौके पर जोती बोई नहीं जाती है। बल्कि
बतौर आबादी के रूप मे है, परन्तु खतौनी में आ0नं0 संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है जिसे धारा
143ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि दर्ज करने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई।

वाद दर्ज किया गया एवं पत्रावली पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई
एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 14 रकबा 1.677हे0 ग्राम
डीहा व ग्राम पकड़िया रानीपुर के आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0 पर कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि
आ0नं0 के उक्त भाग पर आबादी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार धारा 143ज0वि0अ0 के
अन्तर्गत आ0नं0 14 रकबा 1.677हे0 ग्राम डीहा व ग्राम पकड़िया रानीपुर के आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0
को अकृषिक एवं लगान मुक्त किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

## आदेश

ग्राम डीहा परगना बेला दौलताद तहसील मेंहनगर के वर्तमान खतौनी के आ0नं0 14
रकबा 1.677हे0 लगान 41.45रू0 व ग्राम पकड़िया रानीपुर के आ0नं0 506 रकबा 0.478हे0 लगान 15.
00रू0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है तद्नुसार परवाना अमलदरामद
जारी हो। बाद आ0का0 पत्रावली दा0द0हो।

उप जिलाधिकारी,
मेंहनगर, आजमगढ़।
30-5-15

वाद सं0 144 [illegible]
30-5-15

सत्य प्रतिलिपि
30-5-15
प्रतिलिपिकार [illegible]

यशवन्त सिंह
प्रबन्धक
बागेश्वरी महाविद्यालय
डीहा मेंहनगर, आजमगढ़

Galaxy A14 5G